भाग–III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2021

संख्या सा०का०नि० 18/संवि०/अनु० 309/2021.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप–ग) सेवा संशोधन नियम, 2021, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अर्ध चिकित्सा तथा विविध पद राज्य (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998 (जिन्हे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग; '।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 में, "35 वर्ष" अंकों तथा शब्द के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों मे, नियम 9 में, उपनियम (1) में,–

(क) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(छ) रेडियोग्राफर की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;"।

(ख) खण्ड (ञ) का लोप कर दिया जाएगा ।

5. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपील. –(1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बंधित मामलों में सेवा के सदस्य, समय–समय पर, यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों, जो अधिरोपित की जा सकती हैं, का स्वरूप, ऐसी शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी ऐसा होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट क में यथा विनिर्दिष्ट है।"।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"परिशिष्ट क

[देखिये नियम 3]

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड	
1.	2	3	4	5	6
1	आहारविद	–	7	7	एफ0पी0एल0–6, सैल 1 (रूपये 35400/–)
2.	समाजिक कार्यकर्ता	–	7	7	एफ0पी0एल0–6, सैल 1 (रूपये 35400/–)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड	
1.	2	3	4	5	6
3.	मनोरोग चिकित्सक समाजसेवक	—	2	2	एफ0पी0एल0—6, सैल 1 (रूपये 35400/—)
4.	फिजियोथैरेपिस्ट	—	1	1	एफ0पी0एल0—6, सैल 1 (रूपये 35400/—)
5.	व्यवसायिक चिकित्सक	—	3	3	एफ0पी0एल0—6, सैल 1 (रूपये 35400/—)
6.	ओपथालमिक सहायक	—	90	90	एफ0पी0एल0—6, सैल 1 (रूपये 35400/—)
7.	रेडियोग्राफर	23	115	138	एफ0पी0एल0—6, सैल 1 (रूपये 35400/—)
8.	आप्रेशन थियेटर सहायक	01	42	43	एफ0पी0एल0—4, सैल 1 (रूपये 25500/—)
9.	ई0सी0जी0 तकनिशियन	—	5	5	एफ0पी0एल0—4, सैल 1 (रूपये 25500/—)
10.	नलसाज	—	17	17	एफ0पी0एल0—2, सैल 1 (रूपये 19900/—)"

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,—

(i) खाना 3 तथा 4 के नीचे, "मैट्रिक स्तर तक हिन्दी" तथा "मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान" शब्दों, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 7 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगीं, अर्थात्:—

1	2	3	4
"7	रेडियोग्राफर	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रेडियोलोजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी में नियमित बी.एस.सी. या इसके समकक्ष; अथवा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक से रेडियोग्राफी और थैरेपी प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से समकक्ष तीन वर्षीय डिप्लोमा; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विशय सहित 10+2 या इसके समकक्ष; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रेडियोलोजी और इमेजिंग प्रौद्योगिकी में नियमित बी.एस.सी. या इसके समकक्ष; अथवा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक से रेडियोग्राफी और थैरेपी प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से समकक्ष तीन वर्षीय डिप्लोमा; (iii) किसी सरकारी विभाग/ संस्था में रेडियोग्राफर के रूप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iv) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत। " ;

(iii) खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	आहारविद	महानिदेशक	(i) छोटी शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	निदेशक	महानिदेशक	सरकार।"
2.	समाजिक कार्यकर्ता					
3.	मनोरोग चिकित्सक समाजसेवक					
4.	फिजियोथैरेपिस्ट					
5.	व्यवसायिक चिकित्सक		(ii) बडी शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	महानिदेशक	सरकार	
6.	ओपथालमिक सहायक					
7.	रेडियोग्राफर					
8.	आप्रेशन थियेटर सहायक					
9.	ई0सी0जी0 तकनिशियन					
10.	नलसाज					

"परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश पारित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	आहारविद	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना। (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्शिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	महानिदेशक	सरकार।" ।
2.	समाजिक कार्यकर्ता			
3.	मनोरोग चिकित्सक समाजसेवक			
4.	फिजियोथैरेपिस्ट			
5.	व्यवसायिक चिकित्सक			
6.	ओपथालमिक सहायक			
7.	रेडियोग्राफर			
8.	आप्रेशन थियेटर सहायक			
9.	ई0सी0जी0 तकनिशियन			
10.	नलसाज			

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 24th August, 2021

No. G.S.R. 18/Const./ Art. 309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department Para- Medical and Miscellaneous, Posts (State Group C) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Health Department Para-Medical and miscellaneous, Posts (State Group C) Service Amendment Rules, 2021.

2. In the Haryana Health Department Para-Medical and miscellaneous, Posts (State Group C) Service Rules, 1998, (hereinafter called the said rules), in rule 2, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) “Commission” means the Haryana Staff Selection Commission;’.

3. In the said rules, in rule 5, for the figure and word “35 years”, the words and sign “forty-two years” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 9, in sub- rule (1),-

(a) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) In case of Radiographer,-

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State of Government or the Government of India;”;

(b) clause (j) shall be omitted.

5. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

“14. Discipline, penalties and appeals.- (1) The matter relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

2. The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.”.

6. In the said rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“APPENDIX A

(see rule 3)

Serial Number	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Dietician	-	7	7	FPL- 6, Cell 1= Rs. 35400/-
2.	Social Workers	-	7	7	FPL- 6, Cell 1= Rs. 35400/-
3.	Psychiatric Social Workers	-	2	2	FPL- 6, Cell 1= Rs. 35400/-

Serial Number	Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
4.	Physio-therapist	-	1	1	FPL-7, Cell 1= Rs. 44900/-
5.	Occupational Therapist	-	3	3	FPL- 6, Cell 1= Rs. 35400/-
6.	Ophthalmic Assistant	-	90	90	FPL- 6, Cell 1= Rs. 35400/-
7.	Radiographer	23	115	138	FPL- 6, Cell 1= Rs. 35400/-
8.	Operation theater Assistant	1	42	43	FPL-4, Cell 1= Rs. 25500/-
9.	Electro-cardiogram technician	-	5	5	FPL-4, Cell 1= Rs. 25500/-
10.	Plumber	-	17	17	FPL-2, Cell 1= Rs. 19900/-".

7. In the said rules, in Appendix B,—

(i) under columns 3 and 4, for the words "Hindi upto Matric Stantard" wherever occurring, the words "Hindi or Sanskrit as an one subject in Matric or Higher Education" shall be substituted;

(ii) under columns 1, 2, 3 and 4 for serial number 7 and existing entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted , namely:-

1	2	3	4
"7	Radiographer	(i) 10+2 or equivalent with science subject from any recognized Board; (ii) B.Sc. regular in Radiography and imaging technology or equivalent from any recognized University/ Institutes; OR Three years diploma in Radiography and Therapy Technology from Pandit Bhagwat Dayal Sharma, Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak or equivalent three years diploma from any recoginzed University/Institute; and (iii) Hindi or Sanskrit as an one subject in Matric or Higher Education.	(i) 10+2 or equivalent with science subject from any recognized Board; (ii) B.Sc. regular in Radiography and imaging technology or equivalent from any recognized University/ Institutes; OR Three years diploma in Radiography and Therapy Technology from Pandit Bhagwat Dayal Sharma, Postgraduate Institute of Medical Sciences, Rohtak or equivalent three years diploma from any recoginzed University/Institute; and (iii) Two years experience as Radiographer from any Government Department/Institute; and (iv) Hindi or Sanskrit as an one subject in Matric or Higher Education.";

(iii) under columns 1, 2, 3 and 4, serial number 10 and existing entries thereagainst, shall be omitted.

8. In the said rules, for Appendices C and D, the following Appendices shall be substituted, namely:-

"APPENDIX-C

[see rule 14(1)]

<table>
<tr><th>Serial Number</th><th>Designation of posts</th><th>Appointing Authority</th><th>Nature of Penalty</th><th>Authority empowered to impose penalty</th><th>First Appellate Authority</th><th>Second and Final Appellate Authority, if any</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Dietician</td><td rowspan="10">Director General</td><td rowspan="10">I. inor penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.
II. Major penalties- as prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.</td><td rowspan="10">Director

Director General</td><td rowspan="10">Director General

Government</td><td rowspan="10">Government"</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Social Workers</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Psychiatric Social Workers</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Physiotherapist</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Occupational Therapist</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Ophthalmic Assistant</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Radiographer</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Operation theater Assistant</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Electro-cardiogram technician</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Plumber</td></tr>
</table>

"APPENDIX-D

[see rule 14(2)]

<table>
<tr><th>Serial Number</th><th>Designation of posts</th><th>Nature of order</th><th>Authority empowered to make the order</th><th>Appellate Authority</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Dietician</td><td rowspan="10">(I) Reducing of withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rule governing pension;
(II) Terminating the appointment of otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.</td><td rowspan="10">Director General</td><td rowspan="10">Government".</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Social Workers</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Psychiatric Social Workers</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Physiotherapist</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Occupational Therapist</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Ophthalmic Assistant</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Radiographer</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Operation theater Assistant</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Electro-cardiogram technician</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Plumber</td></tr>
</table>

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

9295—L.R.—H.G.P., Pkl.